UPKJ010054592023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधि०) कक्ष सं०–1, कन्नौज।

उपस्थित– श्री हरि प्रसाद (एच०जे०एस०)

विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–1148/2023

उत्तर प्रदेश सरकार .....**अभियोजन पक्ष**

बनाम

साजन पुत्र स्व० गुरूदयाल,
निवासी–ग्राम पनिगवां थाना गुरसहायगंज, जनपद कन्नौज। .....**अभियुक्त**

मुकदमा अपराध संख्या–469/2020
धारा 138 (बी) विद्युत अधिनियम 2003
थाना एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज।

निर्णय

1. उपरोक्त दाण्डिक वाद थाना एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज के **मुकदमा अपराध संख्या–469/2020** में प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर संस्थित किया गया है। इस मामले में अभियुक्त **साजन** के विरुद्ध **धारा 138(बी) विद्युत अधिनियम 2003** का अपराध आरोपित है।

2. इस मामले का पंजीकरण सम्बन्धित थाने में अभियोगी **अवर अभियंता जितेन्द्र कुमार** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/तहरीर (प्रदर्श क–2) के आधार पर किया गया जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि दिनाँक 28.09.2020 को पूर्वाहन/अपराह्न समय लगभग 08.30 से 1.30 बजे उच्चाधिकारियों के मौखिक आदेशानुसार विद्युत चोरी रोको अभियान के तहत सघन चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें बकायेदार विद्युत उपभोक्ता साजन व राजन पुत्र स्व० गुरूदयाल निवासी ग्राम पनिगवां थाना गुरसहायगंज, जनपद कन्नौज संयोजन संख्या–781711569145 के पूर्व में बकाया धनराशि पर विच्छेदित संयोजन की जांच की गयी। जांच टीम में मैं जितेन्द्र कुमार अवर अभियंता, पूरनलाल टी.जी.–2, संविदा कर्मी लाईनमैन सुजीत कुमार व देवराज आदि उपभोक्ता का पूर्व में बकाये पर विच्छेदित संयोजन मौके पर बिना बकाया भुगतान किये अवैध रूप से जुड़ा एवं चालू पाया गया। अतः मुल्जिम उपरोक्त के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने की कृपा की जाये।

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.04.08 12:27:02 IST
Reason: ACCUSED ACQUITTAL
Location: ADJ COURT NO 1 KANNAUJ

3. इस मामले में स्थानीय थाना द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्त **साजन** के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 138 बी विद्युत अधिनियम 2003 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लेने के पश्चात आवश्यक विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति करने के उपरान्त **दिनांक 12.12.2024** को अभियुक्त **साजन** के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 138 बी विद्युत अधिनियम 2003 में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने स्वयं के विरूद्ध विरचित आरोप से इन्कार करते हुये विचारण की मांग की।

4. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी वादी मुकदमा/पी०डब्लू० 1 अवर अभियंता जितेन्द्र कुमार एवं पी.डब्लू.–2 टी.जी.–2 पूरनलाल को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में जांच रिपोर्ट प्रदर्श क–1 , विच्छेदित स्लिप प्रदर्श क–2 व मूल तहरीर प्रदर्श क–3 दर्शांकित कराया गया है।

5. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने कथन किया है कि मेरे विरुद्ध लगाया गया आरोप गलत है। मेरे विरुद्ध झूंठा मुकदमा लिखा दिया। अभियुक्त की तरफ से कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. इस दाण्डिक वाद में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध विरचित आरोप के निर्धारण के लिये प्राप्त साक्ष्यों का विश्लेषण निम्न प्रकार किया जा रहा है–

7. अभियोजन साक्षी/वादी मुकदमा पी०डब्लू०–1 अवर अभियंता **जितेन्द्र कुमार** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 28.09.2020 को मैं सरायप्रयाग जिला कन्नौज पर बतौर अवर अभियंता तैनात था। उस दिन समय 08:30 बजे से 01:30 बजे के मध्य अपने विभाग के उच्च अधिकारियों के मौखिक आदेशानुसार विद्युत चोरी रोको व सघन चेकिंग अभियान के तहत पूर्व ने बकाया पर करते गये सयोजनों को चेक करने हेतु मैं अपने साथ टी०जी० 2 पूरन लाल, संविदा लाइनमैन सुजीत कुमार व देशराज के साथ ग्राम पनिगवॉ में संयोजन धारक स्व० गुरुदयाल पुत्र रामस्वरूप के उपभोगकर्ता साजन व राजन पुत्र स्व० गुरुदयाल निवासी ग्राम पनिगयॉ सराय प्रयाग जिला कन्नौज के संयोजन को चेक किया जो कि पूर्व में मु0–44,074/– रुपये बकाया बिल होने के कारण काटा जा चुका था। दोनों के द्वारा अपने स्तर से अवैध रुप से जोड़कर विद्युत का उपभोग किया जा रहा था। मौके पर इन लोगो से बकाया जमा किये जाने के प्रपत्र मांगे गये जो नहीं दिखा सके। इसपर मौके पर चेकिग रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई थी जिसकी एक प्रति उपभोगकर्ता के घर वालो को दी किन्तु उन्होंने हस्ताक्षर बनाने से इन्कार कर दिया। चेकिंग रिपोर्ट पत्रावली में मूल रुप से कागज संख्या 4ए/4 पर शामिल है जिसपर **प्रदर्श**

क–1 अंकित किया गया। मौके से वापस कार्यालय आकर एक तहरीर कम्प्यूटर से टाइप करवाकर उसमें उन्मान मेरे हस्तलेख में भरकर तैयार की गई थी। तहरीर पर मैंने अपने हस्ताक्षर किये थे तथा साथी हमराहियान के भी हस्ताक्षर करवाये थे। तहरीर पत्रावली पर कागज संख्या 4ए/5 पर मौजूद है जिसपर मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ इसपर **प्रदर्श क–2 अंकित** किया गया। इस मामले के विवेचक ने मेरा बयान लिया था तथा मेरी निशानदेही पर मौके का नक्शा नजरी तैयार किया था।

साक्षी **पी.डब्लू.–1 जितेन्द्र कुमार से** बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा न करने के कारण अभियुक्त का जिरह का अवसर समाप्त किया गया।

8. अभियोजन **साक्षी पी०डब्लू०–2 पूरनलाल टी.जी.–2** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 28.09.2020 को पूर्वाहन समय लगभग 08:30 बजे से 01:30 बजे के मध्य अपने विभाग के उच्च अधिकारियों के मौखिक आदेशानुसार विद्युत चोरी रोको व सघन चेकिंग अभियान के तहत पूर्व ने बकाया पर करते गये सयोजनों की जांच की गयी। जांच टीम में मैं व जितेन्द्र कुमार अवर अभियंता व सुजीत कुमार व देवराज आदि उपभोक्त का पूर्व में बकाया पर विच्छेदित संयोजन मौके पर बिना भुगतान किये अवैध जुड़ा एवं चालू पाया गया।

साक्षी **पी.डब्लू.–2 पूरनलाल** ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि **विद्युत विभाग से जारी पत्रांक संख्या–1099 दिनांकित 25.01.2023 को विद्युत विभाग से जारी किया गया है जो पत्रावली में संलग्न है। अभियुक्तगण साजन व राजन पुत्रगण स्व० गुरूदयाल ने अपना बकाया बिल शमन शुल्क व निर्धारण शुल्क विद्युत विभाग में जमा कर दिया है**।

इसप्रकार साक्षी पी.डब्लू–2 के बयान से यह विदित होता है कि **विद्युत विभाग से जारी पत्रांक संख्या–1099 दिनांकित 25.01.2023 को विद्युत विभाग से जारी किया गया है जो पत्रावली में संलग्न है। अभियुक्तगण साजन व राजन पुत्रगण स्व० गुरूदयाल ने अपना बकाया बिल शमन शुल्क व निर्धारण शुल्क विद्युत विभाग में जमा कर दिया है। इसप्रकार साक्षी पी.डब्लू–2 के बयान से सिद्ध हो जाता है कि अभियुक्त के द्वारा विद्युत विभाग का बकाया बिल का भुगतान किया जा चुका है।**

9. पत्रावली के परिशीलन से यह विदित होता है कि पत्रावली में तहरीर में अंकित शेष साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिसका कोई कारण अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसप्रकार अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा–138 बी विद्युत अधिनियम 2003 को साक्षी पी.डब्लू–1 जितेन्द्र कुमार एवं पी.डब्लू.–2 पूरनलाल के बयान से साबित होना नहीं कहा जा सकता है।

10. राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक ने कथन किया है कि

प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा पूर्व में विच्छेदित संयोजन को पुनः अपने स्तर से जोड़कर विद्युत का चोरी से उपभोग किया जाना साबित हो रहा है। अतः अभियुक्त इस मामले में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

11. अभियुक्त की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि अभियुक्त ने कोई विद्युत चोरी नहीं की। अभियुक्त के विरुद्ध झूंठी गवाही दी गई। अभियुक्त द्वारा इस मामले से सम्बन्धित शमन योग्य समस्त धनराशि जमा कर दिया गया है। अभियुक्त पर अब कोई भी देय शेष नहीं है। अभियुक्त इस मामले में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

12. मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, प्रपत्रों, पक्षों के अभिकथनों तथा प्रकटित परिस्थितियों का समग्र परिशीलन किया। अभियुक्त के विरुद्ध विद्युत चोरी के इस एफ.आई.आर. में तथ्य है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में विच्छेदित संयोजन को पुनः अपने स्तर से जोड़कर विद्युत का चोरी से उपभोग किया जा रहा था।

13. धारा–138 बी विद्युत अधिनियम विद्युत चोरी के अपराध में यह विनिश्चयन आवश्यक होता है कि कथित विद्युत चोरी कितने विद्युत अधिभार से किया जा रहा था तथा इस विद्युत चोरी से अभियुक्त को कितना वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में भी अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त मामले में स्वतंत्र साक्षीगणों के साक्ष्य का अभाव है। विद्युत मीटर की कोई यांत्रिक/तकनीकी जांच आख्या प्रस्तुत नहीं है जो विद्युत चोरी के तथ्य को पुष्टि करता हो।

14. धारा–138 बी विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विद्युत चोरी के आरोप को साबित करने के लिये आवश्यक विशिष्टियों का साक्ष्य न तो विवेचना में संकलित किया गया और न ही विचारण के दौरान उसे साबित कराया गया है। इस साक्ष्य विश्लेषण में यह स्थिति प्रकट हो रही है कि विद्युत चोरी के आरोप को साबित होने के लिये अभियोजन द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत साक्ष्यों से विद्युत चोरी के अपराध की विशिष्टियां साबित नहीं हो रही हैं।

15. पत्रावली में अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड छिबरामऊ, जनपद कन्नौज द्वारा निर्गत पत्रांक दिनांकित 19.07.2025 में यह अंकित है कि **उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त साजन एवं राजन पुत्रगण गुरुदयाल निवासी सरायप्रयाग थाना गुरसहायगंज, जनपद कन्नौज ने अपना बकाया बिल 12,250/–रूपये रसीद संख्या 35248830032118180042 के द्वारा दिनांक 25.01.2023 को विद्युत विभाग में जमा कर दिया है व शमन शुल्क 2,000/–रूपये रसीद संख्या**

34231125012306060003 व निर्धारण शुल्क 1,140/–रूपये रसीद संख्या 34231125012306060004 के द्वारा दिनांक 25.01.2023 को विद्युत विभाग में जमा कर दिया है। इस मामले से सम्बन्धित समस्त शमनयोग्य धनराशि जमा हो चुका है। इस आपराधिक वाद को समाप्त करने में विद्युत विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

16. उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया धारा–138 बी विद्युत अधिनियम 2003 (अप्राधिकृत रूप से विद्युत कनेक्शन संयोजित किया जाना) साबित नहीं हुआ है। अतः विशेष सत्र विचारण संख्या–1148/2023 राज्य बनाम साजन, अन्तर्गत धारा–138 बी विद्युत अधिनियम 2003 बाबत मुकदमा अपराध संख्या–469/2020 थाना एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज में अभियुक्त **साजन** आरोपित अपराध में दोषमक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–1148/2023 बाबत मुकदमा अपराध संख्या–469/2020 थाना एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज के आरोप अन्तर्गत **धारा–138 बी विद्युत अधिनियम 2003** से अभियुक्त **साजन** को **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है।

अभियुक्त के जमानत प्रपत्रों को निरस्त करते हुये प्रतिभूगणों को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के अन्तर्गत बीस हजार रूपये की एक जमानत व समान धनराशि का व्यक्तिबन्ध पत्र दाखिल करे।

दिनांक– 07.04.2026

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधि०) कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।
J.O.Code– UP6489

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक– 07.04.2026

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधि०) कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।
J.O.Code– UP6489